न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती स्वाति गुप्ता, आर.ए.एस.

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 2024/061
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मनजीत सिंह पुत्र श्री हाकम सिंह पुत्र ठाणा सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर। .... प्रार्थी

बनाम

1. लाभप्रीत सिंह पुत्र श्री जसपाल सिंह पुत्र ठाणा सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हाकम सिंह पुत्र श्री ठाणा सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. महेन्द्र सिंह पुत्र ठाणा सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. जसपाल सिंह पुत्र ठाणा सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. जीतो पुत्री ठाणा सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. बिन्द्रपाल कौर पुत्री ठाणा सिंह जाति रामदासिया निवासी 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. कूका पुत्री ठाणा सिंह जाति रामवासिया निवासी 2 डी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थारन जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर। .... अप्रार्थीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (प्रार्थी)
श्री संजय जनवेजा (अप्राथीगण 01 से 07)
पैरोकार राज (अप्रार्थी 08)

दिनांक:–19.08.2025

–:निर्णय:–

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली में बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किए कि उक्त अनवान का दावा श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके [illegible] है जिसमें दर्ज तथ्यों को इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जाकर [illegible] पढ़ा जावे ताकि तथ्यों की पुनरावृति ना हो सके। ठाणा सिंह प्रार्थी [illegible] अप्रार्थी संख्या–2 प्रार्थी का पिता व अप्रार्थी संख्या–3/4 प्रार्थी के चाचा है तथा [illegible] संख्या 5 से 7 प्रार्थी की बुआ है। प्रार्थी के पूर्वजों से चक 2 डी बड़ी पटवार [illegible] ओड़की तहसील श्रीगंगानगर में खाता संख्या–105/106 मुरब्बा नम्बर–65 की 6.200 हैक्टेयर में से 689/6200 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुआ। उपरोक्त भूमि जद्दी जायदाद की सयुंक्त सम्पति है। सम्पति के रूप में ठाणा सिंह परिवार का मुखिया होने के नाते उन्हे रकबा आवंटन किया गया था जिसमें अप्रार्थी संख्या–2 के पिता का 1/7 हिस्सा बनता था जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा बनता है जो सयुंक्त रूप से कब्जे में चला आ रहा है। ठाणा सिंह अप्रार्थी संख्या–3 के प्रभाव में था इसलिए बिना विभाजन करवाये ही भूमि को मुन्तकिल करना [illegible] अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा उसे धोखे में रखकर कोई दस्तावेज बना लिया था

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:15 IST
Reason: SelfAttested
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उस दस्तावेज के आधार पर वह प्रार्थी के कब्जा काश्त में कब्जा करने पर उतारू है जबकि ठाणा सिंह को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था) ना ही उसके द्वारा कोई दस्तावेज अप्रार्थी संख्या–3 को लिखकर नहीं दिया) ना ही कानूनन उसे लिखने का अधिकार था मगर अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा उसे दबाव में लाकर धोखे से उसने अपने लड़के हरप्रीत के नाम दस्तावेज बना लिया है अब ठाणा सिंह की मृत्यु होने के बाद वह रकबा अपने नाम करवाने की फिराक में है। ठाणा सिंह को सयुंक्त परिवार की सम्पति को जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक उसे दान करने व बेचने का कोई अधिकार नही था अब उसकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त तथाकथित दस्तावेज के आधार पर जमीन का कब्जा करना चाहता है जबकि उसे ऐसा करने का अधिकार हासिल नहीं है क्योंकि प्रार्थी का जन्म से ही हक व हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बनता है जो प्राप्त करने का अधिकारी है क्योंकि प्रार्थी के पिता हाकम सिंह का 1/7 हिस्सा है जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है इसलिए प्रार्थी 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में करवाने का अधिकारी है इसलिए प्रार्थी अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा कोई तथाकथित दस्तावेज तैयार किया है तो वह प्रार्थी के अधिकारों पर बेअसर है। प्रार्थी अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के लिए वाद लाने का अधिकारी है। प्रार्थी द्वारा एक वाद जनाबवाला के समक्ष धारा 88,188,91,92ए,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया था तथा वाद के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें स्थगन आदेश 26–06–2022 को प्राप्त हुआ था लेकिन पूर्व में वकील साहब द्वारा सूचना ना देने पर प्रार्थी का वाद 28–11–2024 को आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत वकील की अदम पैरवी व सम्मन् तलवाना ना पेश करने की वजह से प्रार्थी का दावा खारिज कर दिया था इसलिए प्रार्थी को नया वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थी संख्या–1 प्रार्थी की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा जमीन को आगे बेचान करने की फिराक में है यदि दौराने दावा भूमि बिक जाती है तो प्रार्थी के हितों पर कुठाराघात होगा) दावा निष्फल हो जावेगा एवं आंयदा मुकदमाबाजी बढ़ेगी तथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। ऐसी सूरत में प्रार्थी) अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य का स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकारी है कि अप्रार्थीगण उक्त भूमि को दौराने दावा रहन) बैय अथवा किसी भी तरीका से किसी को हस्तान्तरण ना करे। प्रथम दृष्टया केस) सुविधा का सन्तुलन व अपरिमेय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 2 डी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील श्रीगंगानगर में खाता सं. 105/106 मुरब्बा नम्बर–65 में किला नम्बर–1 से 25 की 6.200 हैक्टेयर में 689/6200 हिस्सा दर्ज भूमि की मौका व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने एवं उसे रहन) बैय आदि करने से रोका जाने का आदेश दिया जावे।

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कोर्ट रूलिंग :–

1. BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER, [illegible] VS. PRABHULAL 2023(1) RRT 23
2. BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER, [illegible] VS. NARNA 2024 R.J.R. (Rev.) 139
3. BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER, [illegible]RURAM VS. SITARAM 2024 R.J.R. (Rev.) 258
4. BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER, MOHAMMAD KHAN VS. SMT. SANTOSH DEVI 2024(2) RRT 936
5. BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER, SHIVCHAND VS. KALIASHCHAND & ORS. 2021(1) RRT 321

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:15 IST
Reason: SelfAttested

6. BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER, PREM VS. JAYPAL Citation L 202 DNJ (Rev.) 175

7. BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN AJMER, PRAHALADRAM VS. BAGARAM 2022(2) RRT 846

प्रतिवादी सं. 01 जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है) मगर इसके सफल होने की कोई संभावना नहीं है। वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को प्रार्थना पत्र का अंग मानकर नहीं पढ़ा जा सकता) क्योंकि वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अलग अलग दर्ज होते हैं। मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों से कोई विरोध नहीं है। मद संख्या 3 प्रार्थना पत्र में तथ्य जिस तरह से वर्णित किये गये है) अस्वीकार हैं। प्रार्थी के पूर्वजों से चक 2 डी बड़ी पटवार हल्का ओड़की तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 105/106 मुरब्बा नम्बर 65 की 6.200 हैक्टेयर में से 689/6200 हिस्सा प्रार्थी को विरासत प्राप्त होने का तथ्य झूठा एवं गलत अंकित किया गया है। उक्त रकबा आज भी राजस्व रिकार्ड में ठाणा सिंह के नाम से दर्ज है जो कि ठाणा सिंह की स्वंय अर्जित सम्पत्ति है। इसमें अप्रार्थी संख्या 2 के पिता का 1/7 हिस्सा व प्रार्थी का 1/4 हिस्सा होने के तथ्य झूठे एवं बेबुनियाद अंकित करवाए गए हैं। मद संख्या 4 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार हैं। अप्रार्थी संख्या 1 को इस बात की कोई जानकारी नहीं है किसी कि अप्रार्थी संख्या 3 ने स्वंय अथवा किसी हरप्रीत के नाम से कोई दस्तावेज बना लिया हो। अप्रार्थी से उ के कोई पुत्र संतान नहीं है। मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बावजह गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। श्री ठाणा सिंह अपनी भूमि का एकमात्र मालिक व खातेदार था तथा वाद में वर्णित भूमि श्री ठाणा सिंह की स्वंय अर्जित सम्पत्ति थी) जिसे दान करने व विक्रय करने के पूर्ण अधिकार उसे प्राप्त थे। श्री ठाणा सिंह द्वारा अपने पूर्ण होशो हवास व स्वतन्त्र इच्छा से प्रार्थी / वादी एवं प्रतिवादीगण के समक्ष व रोबरूगवाहान अपनी भूमि वाके चक 2 डी बड़ी पटवार हल्का ओडकी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 105/106 मुरब्बा नम्बर 65 की 6.200 हैक्टेयर में से 689/6200 हिस्सा यानि 0.689 हैक्टेयर में से 0.341 हैक्टेयर भूमि अपने जीवनकाल में दिनांक 07/06/2022 को जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को अन्तरित कर कब्जा प्रदान कर दिया गया था तथा उपहार पत्र की दिनांक से आज तक उक्त रकबा पर अप्रार्थी संख्या 1 काबिज चला आ रहा है। जिसकी समस्त जानकारी प्रार्थी व अन्य प्रतिवादीगण को है। मगर प्रार्थी / वादी ने जानबूझकर अप्रार्थी संख्या 1 को तंग व परेशान करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष झूठे कथनों के आधार पर वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।प्रार्थी के पक्ष में ना तो प्रथम दृष्टया केस बनता है और ना ही सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है) बल्कि उक्त तीनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बखूबी बनते हैं। श्री ठाणा सिंह द्वारा 0.341 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को रजिस्टर्ड उपहार पत्र प्रदान की गई है) इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] को [illegible] का अधिकार माननीय न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:15 IST
Reason: SelfAttested

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना [illegible] प्रार्थी सव्यय निरस्त फरमाया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कोर्ट रूलिंग :-

1. 2009(1) RRT 12 (HIGH COURT) HON'BLE JUSTICS SHRI NARENDRA KUMAR JAIN **Abdul wasi VS. Abdul Kadir & Ors. S.B.Civil Misc. Appeal No. 518 of 2008 with** S.B.Civil Stay Appl. No. 382 of 2008

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतू हमें विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुओ, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचारण करना होगा।

प्रार्थी ने अपने वादपत्र के साथ राजस्व रिकार्ड में दर्ज जमाबंदी चक 2 डी बड़ी खाता संख्या 105/106 प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी के दादा ठानासिंह 689/6200 हिस्सा यानि 0.689 हैक्टे0 का रिकॉर्डेड खातेदार है प्रार्थी ने अपने वाद पत्र में यह स्वीकार किया है कि उक्त रकबा ठानासिंह क आवंटन हुआ था। आवंटित रकबा ठानासिंह की स्वअर्जित सम्पति है। जिसके अन्तरण के पूर्ण अधिकार ठानासिंह में निहित है। एवं अप्रार्थी द्वारा अपने जबाव के साथ प्रस्तुत उपहार पत्र दिनांक 09.06.2022 का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि ठाना सिंह द्वारा 0.341 हैक्टे0 रकबा का उपहार पत्र अपने पोते अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया है। अतः प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्व एवं अप्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

प्रार्थी द्वारा उक्त उपहार पत्र को निरस्त करवाने संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नही किये है जिससे यह ज्ञात होता हो कि उक्त उपहार पत्र वर्तमान में अस्तित्व रखता है इसलिए उक्त उपहार पत्र से दर्ज होने वाले नामान्तरण को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाता है जो अप्रार्थी संख्या 01 को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः बिन्दू अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित होने के कारण दिनांक 16.12.2024 को प्रश्नगत आराजी चक 2 डी बड़ी पटवार हल्का ओड़की, भू.अ.नि. क्षेत्र हिन्दुमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 105/106 के मुरब्बा नं0 65 के किला नं. 01 ता 25 की कुल 6.200 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि में 689/6200 हिस्सा पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से दिनांक 19.08.2025 को सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के निस्तारण तक मूल वाद संख्या 2024/083 अनवानी मनजीत सिंह बनाम लाभप्रीत सिंह व अन्य के साथ नत्थी रहे।
निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से दिनांक 19.08.2025 को सुनाया गया। पत्रावली मूल वाद के निस्तारण तक मूल वाद के साथ नत्थी रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.15 11:27:15 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं दण्डनायक
कार्यालय (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर